

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

अधिसूचना

क्रमांक **589** / गोपनीय / 2021
दो-2-1 / 2021

जबलपुर, दिनांक **14** जुलाई, 2021

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

| क्रमांक | अधिकारी का नाम | न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी |
|---------|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | श्रीमती कंचन गुप्ता, इककीसवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जबलपुर। | तेरहवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की हैसियत से। |
| 2 | श्री विवेक पटेल, तेरहवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जबलपुर। | इककीसवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की हैसियत से। |
| 3 | श्री उमेश कुमार सोनी, षष्ठम् जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जबलपुर। | अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-9 विद्युत अधिनियम, जबलपुर की हैसियत से। |
| 4 | कुमारी चारूलता दांगी, उन्तीसवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इन्दौर। | अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-6 विद्युत अधिनियम, इन्दौर की हैसियत से। |
| 5 | श्री प्रवीण हजारे, चौदहवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर। | अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-4 विद्युत अधिनियम, ग्वालियर की हैसियत से। |

| | | |
|---|--|--|
| 6 | श्री संतोष प्रसाद शुक्ला, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उज्जैन। | अष्टम् जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उज्जैन की हैसियत से। |
| 7 | श्री राहुल जैन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, छिन्दवाड़ा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा। | पंचम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, छिन्दवाड़ा की हैसियत से। |

टिप्पणी :— रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा द्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

* रजिस्ट्रार जनरल १५.७.२१

पृष्ठांकन क्रमांक ५९० / गोपनीय / 2021
दो—२—१ / 2021

जबलपुर, दिनांक १४ जुलाई, 2021

प्रतिलिपि:—

- उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को उनके पत्र दिनांक 03.07.2021 एवं 06.07.2021 के संदर्भ में/ छिन्दवाड़ा को उनके पत्र दिनांक 05.07.2021 के संदर्भ में/ उज्जैन को उनके पत्र दिनांक 03.07.2021 के संदर्भ में/ इन्दौर, ग्वालियर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
- सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस०ए०)/ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- रजिस्ट्रार जनरल के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- प्रशासनिक अधिकारी, सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर/ शिकायत शाखा/ डी० ए० (गोपनीय शाखा)/ डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट (गोपनीय शाखा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

* (राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल